[2019] 1 उम. नि. प. 317

दि कार्पोरेशन ऑफ मद्रास

बनाम

एम. पार्थसारथी

10 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 का नियम 23क, 25 और 27] – अपील – अपील न्यायालय द्वारा सुनवाई के प्रक्रम पर अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करना – प्रत्यर्थियों को अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन में सुनवाई का अवसर नहीं देना – अपील न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पर आधारित आदेश पारित करना – आदेश अभिखंडित होना – यदि अपील न्यायालय द्वारा सुनवाई के अवसर पर अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण किया जाता है और उसके खंडन में प्रत्यर्थियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है तो यदि ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पर आधारित कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा और ऐसा आदेश, अविधिमान्य तथा अभिखंडित किए जाने योग्य होगा ।

वर्तमान मामले में, विवाद्यक, अमीनजीकराई ग्राम, पुल्लारेड्डी एवेन्यू, चेन्नई के ब्लाक सं. 15 में माप लगभग 3600 वर्गफीट भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'वाद भूमि' कहा गया है) से संबंधित है । प्रत्यर्थियों ने वाद भूमि का स्वामी होने का दावा करते हुए, अपीलार्थियों (प्रतिवादियों) के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई के समक्ष चार सिविल वाद अर्थात् 1992 की मूल वाद सं. 2207, 1992 की 2345, 1992 की 2346 और 1992 की 2347 फाइल की । अपीलार्थियों ने नोटिस तामील होने पर, लिखित कथन फाइल करते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए दावों से इनकार किया । चूंकि सभी चारों वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में थे और भूमि के एक टुकड़े से संबंधित थे,

यद्यपि, ये चार विभिन्न विक्रय विलेखों के भाग थे और कई वाद हेतुक भी नहीं थे, इसलिए, विचारण न्यायाधीश ने अपने एक समान निपटारे के लिए सभी चारों वादों को एक साथ जोड़ दिया था । तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर, सामान्य विवाद्यक विरचित किया । पक्षकारों ने अपने सामान्य साक्ष्य प्रस्तुत किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 24 सितम्बर, 1993 के एक सामान्य निर्णय/डिक्री द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल सभी चार वादों को खर्चे सहित खारिज कर दिया । वादियों ने इससे व्यथित महसूस होकर, अष्ठम् अपर जिला न्यायाधीश, चेन्नई के न्यायालय में 1993 की ए. एस. सं. 338 से 341 के अधीन प्रथम अपीलें फाइल कीं । इन अपीलों में, वादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन फाइल किया और अपने मामले (सीएमपी सं. 1559/93) के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की ईप्सा की । अपर जिला न्यायाधीश ने तारीख 17 दिसम्बर, 1993 के निर्णय/डिक्री द्वारा संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन को मंजूर कर लिया और तद्द्वारा, वादियों को अतिरिक्त साक्ष्य फाइल करने की अनुज्ञा दे दी । उसके बाद अपील न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य को प्रदर्श पी-16 से पी-20 के रूप में प्रदर्शित किया और अपीली प्रक्रम पर प्रथम बार के लिए अपीलार्थियों द्वारा दिए गए अतिरिक्त साक्ष्य का अवलंब लेते हुए, अपीलों को मंजूर कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया तथा अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल सभी चारों वाद डिक्री कर दिए । प्रतिवादियों ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपीलें फाइल कीं । वादियों ने भी प्रश्नगत भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल द्वितीय अपीलों को खारिज कर दिया और अपीलार्थियों के द्वितीय अपीलों को खारिज होने के परिणामस्वरूप इसमें के प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल रिट याचिका को मंजूर कर लिया और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पुष्टि कर दी । उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थियों ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष विशेष

इजाजत के माध्यम से वर्तमान अपीलों को फाइल किया । न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलों को मंजूर करने में दो अधिकारिता संबंधी त्रुटि कारित की है । प्रथमत:, उन्होंने प्रत्यर्थियों (जो प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी थे) द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के प्रत्युत्तर में कोई खंडन साक्ष्य फाइल करने के लिए इसमें के अपीलार्थियों (जो प्रथम अपीलों में प्रत्यर्थी थे) को कोई अवसर दिए बिना गुणागुणों पर अपीलों को विनिश्चित करते समय अतिरिक्त साक्ष्य को विचार में लिया । इससे इसमें के अपीलार्थियों को प्रतिकूलता कारित हुई क्योंकि वे उनके विरुद्ध अपील में प्रथम बार के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर अपील न्यायालय के प्रतिकूल आदेश से ग्रसित हुए । द्वितीय त्रुटि प्रक्रिया संबंधी की थी जिसे प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करने में अवलंब लेने में असफल रहा । इसमें भी अधिकारिता का प्रश्न अंतर्वलित था । सीएमपी संख्या 1559/1993 मंजूर किया जाता है और न्यायालय की राय में, सही ही प्रथम अपील न्यायालय के पास दो विकल्प थे, प्रथमत:, या तो वह संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 23क के उपबंधों का अवलंब लेते हुए, विचारण न्यायालय के संपूर्ण निर्णय/डिक्री को अपास्त कर सकते थे और वादों का पुन: विचारण करने के लिए विचारण न्यायालय के पास मामले को वापस भेज सकते थे जिससे कि पक्षकार विधि के अनुसरण में अतिरिक्त साक्ष्य को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकते थे अथवा द्वितीयत: उनके पास यह विकल्प था कि वे संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 25 की शक्तियों का अवलंब लेते हुए, अपीलों को स्वयं अपने पास रोक लेते और अतिरिक्त साक्ष्य जिसे अभिलेख पर लिया गया था, के प्रकाश में, मामले में उद्भूत विशिष्ट विवाद्यकों पर सीमित विचारण के लिए मामले को विचारण न्यायालय के पास वापस भेज सकते थे और गुणागुणों पर अपीलों का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए ऐसे सीमित विवाद्यकों पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख कर

सकते थे । प्रथम अपील न्यायालय दोनों पूर्वोक्त उल्लिखित उपबंधों का उल्लेख करने में असफल रहा और गलत तौर पर इसे मंजूर किया । प्रथम अपील न्यायालय द्वारा इन दो अधिकारिता संबंधी त्रुटियों के कारण प्रथम अपीलों का विरोध करते समय इसमें के अपीलार्थियों को प्रतिकूलता कारित हुई, जिससे न्यायालय की राय में, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, गुणागुणों पर वैधत: कायम नहीं रखा जा सकता है । उच्च न्यायालय भी द्वितीय अपीलों का विनिश्चय करते समय इन दोनों अधिकारिता संबंधी विधिक त्रुटियों को नोटिस करने में असफल रहा जो मामले की जड़ है । इस कारण से भी आक्षेपित आदेश वैधत: कायम नहीं रखा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित है । पूर्ववर्ती चर्चा के प्रकाश में और मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों को पूर्ण और ऋजु विचारण के लिए समर्थ बनाने हेतु, न्यायालय, संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 23क के अधीन शक्तियों का अवलंब लेना समुचित समझता है और तद्नुसार, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उस सीमा तक अपास्त करते हैं जिस सीमा तक यह गुणागुणों पर प्रत्यर्थियों की अपीलों को मंजूर करता है, किन्तु इसी समय आदेश का एक भाग जिसके द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वादियों द्वारा फाइल सीएमपी संख्या 1559/1993 को मंजूर किया गया था, को कायम रखते हैं और सभी चारों सिविल वादों का गुणागुणों पर नए सिरे से पुन: विचारण करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय के पास वापस भेजते हैं । (पैरा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 4 एस. सी. सी. 759 : **अखिलेश सिंह** बनाम **लाल बाबू सिंह और अन्य** ;	15
[2010]	(2010) 8 एस. सी. सी. 423 : **शालीमार केमिकल्स वर्क्स लि.** बनाम **सुरेन्द्र ऑयल एंड दाल मिल्स (रिफाइनरीज) और अन्य** ;	15

[1976] (1976) 4 एस. सी. सी. 9 :
लैंड एक्युजिशन आफिसर, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड
बनाम **एच. नारायणय्या और अन्य** । 15

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2006 की सिविल अपील संख्या 3033 के साथ 2018 की सी. ए. संख्या 8185.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

पक्षकारों की ओर से सर्वश्री आर. बसंत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एम. योगेश कन्ना, (श्रीमती) सुजाता बगाधी, पार्थ सारथी, (सुश्री) अरुणा प्रकाश, प्रकाश गोगालनी, मैसर्स अर्पुतम अरुणा एंड कंपनी और आर. चंद्रचूड़, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने दिया ।

न्या. सप्रे – विशेष इजाजत याचिका (सिविल) संख्या डी. सं. 15579/2017 में इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें, उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा 1997 की सिविल अपील सं. 126 से 129 और 1993 की रिट याचिका सं. 13097 में पारित तारीख 9 अक्तूबर, 2002 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध निदेशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इसमें के अपीलार्थियों द्वारा फाइल द्वितीय अपीलों को खारिज कर दिया था और इसमें के प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल रिट याचिका को मंजूर कर दिया था ।

3. इन अपीलों में उद्भूत विवाद्यकों का मूल्यांकन करने के अनुक्रम में, कुछ सुसंगत तथ्यों का इसमें निम्नलिखित उल्लेख करना आवश्यक है ।

4. जिन सिविल वादों में, ये अपीलें उद्भूत हुई हैं, उनमें अपीलार्थी, प्रतिवादी है जबकि प्रत्यर्थी, वादी है ।

5. विवाद्यक, अमीनजीकराई ग्राम, पुल्लारेड्डी एवेन्यू, चेन्नई के

ब्लाक सं. 15 में माप लगभग 3600 वर्गफीट भूमि (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'वाद भूमि' कहा गया है) से संबंधित है ।

6. प्रत्यर्थियों ने वाद भूमि का स्वामी होने का दावा करते हुए, अपीलार्थियों (प्रतिवादियों) के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई के समक्ष चार सिविल वाद अर्थात् 1992 की मूल वाद सं. 2207, 1992 की 2345, 1992 की 2346 और 1992 की 2347 फाइल की ।

7. अपीलार्थियों ने नोटिस तामील होने पर, लिखित कथन फाइल करते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए दावों से इनकार किया । चूंकि सभी चारों वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच में थे और भूमि के एक टुकड़े से संबंधित थे, यद्यपि, ये चार विभिन्न विक्रय विलेखों के भाग थे और कई वाद हेतुक भी नहीं थे, इसलिए, विचारण न्यायाधीश ने अपने एक समान निपटारे के लिए सभी चारों वादों को एक साथ जोड़ दिया था । तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर, सामान्य विवाद्यक विरचित किया । पक्षकारों ने अपने सामान्य साक्ष्य प्रस्तुत किए । विचारण न्यायालय ने तारीख 24 सितम्बर, 1993 के एक सामान्य निर्णय/डिक्री द्वारा प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल सभी चार वादों को खर्चे सहित कर खारिज दिया ।

8. वादियों ने (इसमें के प्रत्यर्थियों) इससे व्यथित महसूस होकर, अष्ठम् अपर जिला न्यायाधीश, चेन्नई के न्यायालय में 1993 की ए. एस. सं. 338 से 341 के अधीन प्रथम अपीलें फाइल कीं । इन अपीलों में, वादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में जिसे 'संहिता' कहा गया है) के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन फाइल किया और अपने मामले (सीएमपी सं. 1559/93) के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की ईप्सा की ।

9. अपर जिला न्यायाधीश ने तारीख 17 दिसम्बर, 1993 के निर्णय/डिक्री द्वारा संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन फाइल आवेदन को मंजूर कर लिया और तद्द्वारा, वादियों (प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों) को अतिरिक्त साक्ष्य फाइल करने की

अनुज्ञा दे दी । उसके बाद अपील न्यायालय ने अतिरिक्त साक्ष्य को प्रदर्श पी-16 से पी-20 के रूप में प्रदर्शित किया और अपीली प्रक्रम पर प्रथम बार के लिए अपीलार्थियों द्वारा दिए गए अतिरिक्त साक्ष्य का अवलंब लेते हुए, अपीलों को मंजूर कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया तथा अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल सभी चारों वाद डिक्री कर दिए ।

10. प्रतिवादियों (इसमें के अपीलार्थियों) ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपीलें फाइल कीं । वादियों (इसमें के प्रत्यर्थियों) ने भी प्रश्नगत भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रत्यर्थियों (इसमें के अपीलार्थियों) द्वारा फाइल द्वितीय अपीलों को खारिज कर दिया और अपीलार्थियों के द्वितीय अपीलों को खारिज होने के परिणामस्वरूप इसमें के प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल रिट याचिका को मंजूर कर लिया और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पुष्टि कर दी । उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थियों ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत के माध्यम से वर्तमान अपीलों को फाइल किया ।

11. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री आर. बंसत और प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल सुश्री अरुणा प्रकाश को सुना ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने और प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा फाइल लिखित निवेदनों का परिशीलन करने के पश्चात्, हमारा यह सुविचारित मत है कि उपर्युक्त उपदर्शित अतिरिक्त संक्षिप्त आधार पर ये अपीलें भागत: मंजूर किए जाने योग्य हैं ।

13. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थियों (वादियों) ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपने प्रथम अपीलों में संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 27 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था, जिसमें अपीलों में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया गया था । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि इस आवेदन को मंजूर कर लिया था और अतिरिक्त साक्ष्य को न केवल अभिलेख पर लिया गया था,

अपितु अपील न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल आवेदन को मंजूर करने के लिए इसका प्रदर्श पी-16 से पी-20 के रूप में अवलंब भी लिया था, जिसके परिणामस्वरूप, सभी चारों सिविल वादों को डिक्री कर दिया था ।

14. हमारे सुविचारित राय में, प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलों को मंजूर करने में दो अधिकारिता संबंधी त्रुटि कारित की है ।

15. प्रथमतः, उन्होंने प्रत्यर्थियों (जो प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी थे) द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के प्रत्युत्तर में कोई खंडन साक्ष्य फाइल करने के लिए इसमें के अपीलार्थियों (जो प्रथम अपीलों में प्रत्यर्थी थे) को कोई अवसर दिए बिना गुणागुणों पर अपीलों को विनिश्चित करते समय अतिरिक्त साक्ष्य को विचार में लिया । इससे इसमें के अपीलार्थियों को प्रतिकूलता कारित हुई क्योंकि वे उनके विरुद्ध अपील में प्रथम बार के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर अपील न्यायालय के प्रतिकूल आदेश से ग्रसित हुए । (देखें : **लैंड एक्युजिशन ऑफिसर, सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड** बनाम **एच. नारायणय्या और अन्य**[1], **शालीमार केमिकल्स वर्क्स लि.** बनाम **सुरेन्द्र ऑयल एंड दाल मिल्स (रिफाइनरिज) और अन्य**[2] तथा **अखिलेश सिंह** बनाम **लाल बाबू सिंह और अन्य**[3])

16. द्वितीय त्रुटि प्रक्रिया संबंधी की थी जिसे प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करने में अवलंब लेने में असफल रहा । इसमें भी अधिकारिता का प्रश्न अंतर्वलित था ।

17. सीएमपी संख्या 1559/1993 मंजूर किया जाता है और हमारी राय में, सही ही प्रथम अपील न्यायालय के पास दो विकल्प थे, प्रथमतः, या तो वह संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 23क के उपबंधों का अवलंब लेते हुए, विचारण न्यायालय के संपूर्ण निर्णय/डिक्री को अपास्त कर सकते थे और वादों का पुनः विचारण करने के लिए विचारण

---

[1] (1976) 4 एस. सी. सी. 9.

[2] (2010) 8 एस. सी. सी. 423.

[3] (2018) 4 एस. सी. सी. 759.

न्यायालय के पास मामले को वापस भेज सकते थे जिससे कि पक्षकार विधि के अनुसरण में अतिरिक्त साक्ष्य को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकते थे अथवा द्वितीयत: उनके पास यह विकल्प था कि वे संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 25 की शक्तियों का अवलंब लेते हुए, अपीलों को स्वयं अपने पास रोक लेते और अतिरिक्त साक्ष्य जिसे अभिलेख पर लिया गया था, के प्रकाश में, मामले में उद्भूत विशिष्ट विवाद्यकों पर सीमित विचारण के लिए मामले को विचारण न्यायालय के पास वापस भेज सकते थे और गुणागुणों पर अपीलों का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए ऐसे सीमित विवाद्यकों पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख कर सकते थे ।

18. प्रथम अपील न्यायालय दोनों पूर्वोक्त उल्लिखित उपबंधों का उल्लेख करने में असफल रहा और गलत तौर पर इसे मंजूर किया ।

19. प्रथम अपील न्यायालय द्वारा इन दो अधिकारिता संबंधी त्रुटियों के कारण प्रथम अपीलों का विरोध करते समय इसमें के अपीलार्थियों को प्रतिकूलता कारित हुई, जिससे हमारी राय में, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, गुणागुणों पर वैधत: कायम नहीं रखा जा सकता है ।

20. उच्च न्यायालय भी द्वितीय अपीलों का विनिश्चय करते समय इन दोनों अधिकारिता संबंधी विधिक त्रुटियों को नोटिस करने में असफल रहा जो मामले की जड़ है । इस कारण से भी आक्षेपित आदेश वैधत: कायम नहीं रखा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित है ।

21. पूर्ववर्ती चर्चा के प्रकाश में और मामले के संपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों को पूर्ण और ऋजु विचारण के लिए समर्थ बनाने हेतु, हम, संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 23क के अधीन शक्तियों का अवलंब लेना समुचित समझते हैं और तद्नुसार, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उस सीमा तक अपास्त करते हैं जिस सीमा तक यह गुणागुणों पर प्रत्यर्थियों की अपीलों को मंजूर करता है, किन्तु इसी समय आदेश का एक भाग

जिसके द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वादियों द्वारा फाइल सीएमपी संख्या 1559/1993 को मंजूर किया गया था, को कायम रखते हैं और सभी चारों सिविल वादों का गुणागुणों पर नए सिरे से पुन: विचारण करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय के पास वापस भेजते हैं ।

22. चारों सिविल वादों के सभी पक्षकारों (अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों) को क्रमश: अपने अभिवचनों को संशोधित करना मंजूर किया जाता है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं । अपीलार्थियों को खंडन में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना मंजूर किया जाता है । प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लिए गए अतिरिक्त साक्ष्य को विचारण न्यायालय में विधि के अनुसरण में साक्ष्य साबित करने के लिए छूट दी जाती है । विचारण न्यायालय, यदि यह समुचित समझता है तो वह अतिरिक्त विवाद्यक भी विरचित कर सकता है । पक्षकारों को स्वयं द्वारा पहले ही प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त अपने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करना मंजूर किया जाता है ।

23. उसके बाद, विचारण न्यायालय, इस मामले में दिए गए किसी भी पूर्ववर्ती आदेशों/निर्णयों जिनमें यह आदेश भी सम्मिलित है, से प्रभावित हुए बिना संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर गुणागुणों पर नए सिरे से वादों का विनिश्चय करेगा, क्योंकि पुन: विचारण के लिए मामले को वापस भेजने की राय गठित करने के पश्चात्, हम विवाद्यकों के गुणागुणों पर विचार नहीं कर सकते हैं । विचारण एक वर्ष के भीतर पूरे किए जाने चाहिए ।

24. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलें सफल होती हैं और मंजूर की जाती हैं । आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

क.